न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 425 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 हडमतसिह पुत्र गणेशा जाति राजपुरोहित (फौत) के कायम मुकाम 1/1 गोपालसिंह पुत्र हडमतसिंह 1/2 मीरा देवी पुत्री हड़मतसिंह 1/3 गौतमसिंह पुत्र हडमतसिंह 1/4 दिलीपसिंह पुत्र हड़मतसिंह 1/5 कौशल्यादेवी पुत्री हडमतसिंह 1/6 श्रीमती मथरा पत्नि हड़मतसिह जातियान राजपुरोहित निवासी कालूडी 2 सुआ बेवा गणेशा राजपुरोहित निवासी कालूडी		1. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार महोदय, पचपदरा 2. शंकरसिंह पुत्र राणजी राजपुरोहित निवासी कालूडी 3. श्रीमान हल्का पटवारी कालूडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 (प्रत्यास्थापन) एवं धारा 151 सी पी सी

निर्णय

उपस्थित : 1. श्री उम्मेदसिंह प्रार्थी वकील
2. श्री चेलाराम विप्रार्थी वकील

दिनांक : 14-12-2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 144 (प्रत्यास्थापन) एवं धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नंबर 6 रकबस 256 बीघा खसरा नंबर 17 रकबा 285 बीघा 6 विस्वा कुल रकबा 541 बीघा 6 विस्वा भूमि सरहद मौजा कालूडी में स्थित है। उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा शंकरसिंह पुत्र राणसिंह राजपुरोहित के नाम गलत रुप से अंकित हो गया था जिसके पंचायती खेतेश्वर महाराज के सानिध्य में की गयी थी व शंकरसिंह के नाम ज्यादा अंकित भूमि गणेशाजी वगैरा के नाम पुनः बदलने का तय किया था। गणेशाजी का देहान्त हो गया और मौका पाकर शंकरसिंह द्वारा उसके नाम अंकित करवा लिया व एक वाद सहायक जिलाधीश महोदय बालोतरा की अदालत में अनवान शंकरसिंह बनाम गणेशा वगैरा वाद सं. 94 / 2003 पेश कर बंटवाडा किया शंकरसिंह वाद पत्र बाले बोले डिक्री कर दिया जमबान्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवाडा किय व तहसीलदार स्वयं मौका पर जाकर प्रस्ताव भिजावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

उक्त वाद निर्णय के विरुद्ध हम प्रार्थी द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के समक्ष अपील पेश की जो अनवान हडमतसिंह वगेरा बनाम शंकरसिंह अपील संख्या 37/2013 से विधिक आधार लेकर अपील पेश की गई थी जो दिनांक 14.09.2015 को दोनो पक्षों की बाद सुनवाई स्वीकार की गई व अधिनस्थ न्यायालय बालोतरा का निर्णय दिनाक 20.03.2012 को अपास्त किया गया।

प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी सख्या 2 के पति गणेशाजी के फौत होने पर कायम मुकाम दिनांक 24.06.2010 को कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये तथा दिनांक 20.03.2012 की एक तरफा निर्णय सुनाया व प्राथमिक डिक्री जारी हो व तहसीलदार पचपदरा ने मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव पेश किये। अपीलाधीन न्यायालय ने उसमें दोनों पक्षो को सुना जाकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया।

पत्रावली दिनांक 10.10.2015 को पुनः सुनवाई पर ली जाकर मात्र दोनो अधिवक्ताओं को सूचित करने के निर्देश दिये गये और विभाजन प्रस्ताव दिनाक 14.01.2014 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा भेजा गया को रेकर्ड पर लिया गया दिनाक 19.01.2016 को दोनों पक्षों में वकीलों की बहस को सुना जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने की आदेशिका है। उक्त अंतिम डिक्री पूर्व से तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार जारी कर दी गई।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर लेख है कि सहायक जिलाधीश महोदय बालोतरा के निर्णय दिनांक 20.03.2012 की पालना में की गयी तमाम कार्यवाही अपास्त फरमायी जावे। पत्रावली को पुनः क्रमांक पर ली जावे और तत्काल वाद प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 28.03.2017 को जबाब पेश किया ग्राम कालूडी की मिशल बन्दोस्त में रणा वल्द चेला हि. 1/2 गणेशा, दरगा, मंगला, भीखा 1/2 हिस्सा दर्ज है गणेश फौत होने से उसके वारीस पुत्र हडमतसिंह व पत्नि सुआ कंवर का नाम अन्य खातेदारों के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है विभाजन प्रस्ताव अपीलाधीन निर्णय से पूर्व का है अपील के निर्णय दिनांक 14.09.2015 के तहत अपास्त (निरस्त) कर दिया गया अपर न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिग्री निरस्त करने के आदेश को माननीय न्यायालय ने आर्डरसीट में तो लिया परन्तु अपील की अवधि में तहसीलदार पचपदरा से दिनांक 14.01.2014 को मंगाई बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर फाइनल डिग्री किया व अमलदरामद किया गया। पक्षकारान को न सुन नही पक्षकरान को सुना उनके वकीलो को सुना जबाब मुझ प्रार्थी को कोई वकील ही नहीं था। व फाईनल डिग्री जारी करने तथा ना.करण 637 के निर्णय की थी सम्पूर्ण कार्यवाही एक तरफा की गयी है।

अतः बिना सुनवाई के जारी दिनांक 19.01.2016 की फाईनल डिग्री तथा उसके अनुसार भश गया ना.करण सं. 637 निरस्त योग्य है क्योकि अपर न्यायालय द्वारा सुनवाई का निर्णय करने के दिये आदेश की पालना नहीं हुई आदेश दिनांक 20.03.2012 अपास्त होने के बाबजूद भी पालना कर अंतिम डिक्री जारी की गई जो अपर न्यायालय के आदेश की अवहेलना है विप्रार्थी स.2 ने दिनांक 15.02.2017 को जबाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है यह तथ्य गलत है कि विप्रार्थी नबर 2 के नाम 1/2 हिस्सा गलत रुप से अंकित किया गया है तथा इस तथ्य बाबत कभी कोई पंचायती खेतारामजी महाराज के समक्ष्य में कभी हुई न शंकरसिंह के नाम दर्ज ज्यादा भूमि को गणेशा वगैरा के

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

नाम पुनः बदलने का तय किया गया यह तथ्य गलत है कि शंकरसिंह ने धोखे से डिक्री प्राप्त की हो तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की ओर से दुर्गा, मंगला, गणेश के वारिस हड़मतसिह ने दिनांक 06.03.2006 को अपना जबाब दावा पेश किया तथा प्रतिवाद सं.4 भीखा ने जबाब दावा दिनांक 06.09.2004 को पेश किया उन्होने अपना 1/2 हिस्सा होना मंजूर किया जो संस्वीकृति है। पद सं. 3 प्रार्थना पत्र गलत है अतः अस्वीकार है मृतक गुणेशा के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जा चूके थे तथा उनके कायम मुकाम हड़मतसिंह ने अदालत श्री में अपना जबाब दावा पेश किया था पत्रावली पुनः रिमाण्ड होकर न्यायाल श्री मे प्राप्त के पश्चात अदालत श्री ने दिनांक 20.03.2012 को दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात प्रार्थीगण के अधिवक्ता की मौजूदगी में दिनांक 20.03.2012 को दावा पुनः डिक्री किया पद सं. 4 व 5 अस्वीकार है पद सं. 6 प्रार्थना पत्र का जबाब है कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाकर उसका रेकर्ड मे अमलदरामद कर दिया गया है डिक्री की पालना अवशेष नही रही। पक्षकारान को सम्मन से तलब करना जरुरी नहीं था। प्रतिवादीगण के जबाब दावे पेश हो चुके थे दुबारा जबाब दावा का विधि में प्रावधान नही है। डिक्री की संतुष्टी पालना हो चूकी है डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में सहीं अंकन किया गया है कोई गलत कार्यवाही नहीं की गई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्च खारिज फरमाया जावे।

विप्रार्थी सं.2 के जवाब की प्रति प्रार्थी वकील को दी गई प्रार्थी वकील ने जबाब का जबाबुल जबाब पेश नहीं किया।

प्रार्थी वकील ने दस्तावेज फेरिशत के साथ आदेशिकाऐं, निर्णय दिनांक 19.01.16 व नामान्तरकरण रजिस्टर की कापी पेश करते हुये बहस की तथा बताया की गणेशा फौत के कायम मुकाम को न ही नोटीस दिय न रेकर्ड पर लिया व अपीलान्ट कोर्ट का निर्णय दिनांक 14.09.2015 से रिमाण्ड किया व अधीनस्थ न्यायालय मे कायम मुकाम को नहीं सुना दिनांक 19.10.15 की पत्रावली पुनः दर्ज कर तहसीलदार का विभाजन प्रस्ताव को ही स्वीकार किया गया दिनांक 19.01.2016 का निर्णय है ही नहीं मात्र अंतिम डिक्री है। हड़मतसिंह व सुआ को कोई नोटीस नहीं दिया।

विप्रार्थी वकील ने बहस की कि दावा पेंडिंग नहीं है जो अंतिम डिक्री पारित की है उसे कोई चुनौती नही दी गई। रेकर्ड मे एन्टरी अंतिम डिक्री के अनुसार है जब तक अंतिम डिक्री को चेलेन्ज होकर निर्णय नहीं हो जाता है जब तक प्रत्यास्थापन पोषणीय नही है।

दोनो पक्षो की बहस सुनी व प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हमने सभी पहलूओं पर अध्यन किय गया अदालत श्री का निर्णय दिनांक 20.03.12 के अपीलान्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 14.09.2015 द्वारा अपास्त कर दिया गया था तहसीलदार पचपदरा विभाजन प्रस्ताव दौराने अपील तैयार किये जिस आदेश पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये थे वह आदेश अपीलान्ट कोर्ट द्वारा दिनांक 14.09.2015 को अपास्त कर दिया गया था आदेश दिनांक 14.09.2015 की पालना में पुनः प्रकरण दर्ज कर अभिभाषकगण को तलब किया उस दिन की आदेशिका में किसी भी अभिभाषकगण की उपस्थित दर्ज है। तथा दोनों पक्षों को सुना जाकर विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपती एतराज नहीं होने पर अंतिम डिक्री जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट कोर्ट के आदेश दिनांक 14.09.2015 की पूर्ण पालना की गई पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाकर दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया। दोनो पक्षो को सुन विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज नहीं होने पर अंतिम डिक्री जारी की गई वादी द्वारा अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई उक्त वाद में किसी प्रकार की पालना शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र धारा 144 (प्रत्यास्थापन) एवं 151 सी.पी.सी चलने योग्य नहीं है। जब तक अंतिम डिक्री को चेलेन्ज होकर निर्णय नही हो जाता जब तक प्रत्यास्थापन पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाता है।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 14-12-2017 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner